राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/ 1671—1744 दिनांक 30/4/2014

कार्यालय आदेश

कोष एवं उपकोष कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों को नकारा घोषित करने हेतु निम्न कमेटी का गठन एतद् द्वारा किया जाता है।

1. कोषाधिकारी (अध्यक्ष)
2. उपकोषाधिकारी कोष कार्यालय/उपकोषाधिकारी (संबंधित उपकोषालय)
3. सूचना सहायक कोष कार्यालय/डी.ओ. आई.टी. प्रतिनिधि अथवा पद रिक्त होने पर निदेशालय से नामित कम्प्यूटर विशेषज्ञ
4. स्टोर प्रभारी कोष/उपकोष कार्यालय सदस्य सचिव

उक्त कमेटी के अनुमोदन पश्चात नकारा घोषित कम्प्यूटर्स एवं अन्य हार्डवेयर की सूची निदेशालय कोष एवं लेखा को प्रेषित करेगें। उक्त प्राप्त नकारा हार्डवेयर की सूची एवं निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग को उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स एवं अन्य हार्डवेयर को नकारा घोषित करने हेतु निदेशालय स्तर पर निम्न कमेटी का गठन एतद् द्वारा किया जाता है :–

1. निदेशक कोष एवं लेखा अथवा उनके द्वारा नामित वरिष्ठतम अधिकारी (अध्यक्ष)
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/आहरण एवं वितरण अधिकारी
3. उप निदेशक (आई.टी.)/ए.सी.पी. डी.ओ.आई.टी. प्रतिनिधि/तकनीकी सदस्य
4. सहायक लेखाधिकारी, स्टोर शाखा निदेशालय कोष एवं लेखा/अथवा निदेशक द्वारा नामित सहायक लेखाधिकारी, सदस्य सचिव

उक्त कमेटी के अनुमोदन के पश्चात उक्त सूची स्वीकृति हेतु डी.ओ.आई.टी. को प्रेषित की जावेगी। डी.ओ.आई.टी. से स्वीकृति पश्चात सूची में अंकित उपकरणों का नियमानुसार नीलामी कर निस्तारण संबंधित कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

उक्त कमेटीयों का गठंन डी.ओ.आई.टी. के सरर्कुलर क्रमांक F.5(324)DOIT/ Tech/08/1429 दिनांक 13.06.2008 एवं जी.एफ.एण्ड.ए.आर. पार्ट–II के नियम 22 के अनुसरण में जारी किये गये है। डी.ओ. आई.टी. के उक्त सर्कुलर के बिन्दू संख्या 3, 4 के अनुसरण में वैकल्पिक उपयोग नहीं होने की दशा में कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्यवाही जीएफएण्डएआर पार्ट–2 के अन्तर्गत एस.आर. फार्म 5,6,7 में रिकार्ड संधारण किया जायेगा।

(वीरबाला जोशी)

निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/1671—1744 दिनांक 30/4/2014

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आई.टी. बिल्डिंग जयपुर
2. तकनीकी निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आई.टी. बिल्डिंग जयपुर
3. संयुक्त निदेशक (आई.एफ.एम.एस), कार्यालय हाजा।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी, कार्यालय हाजा।
5. उप निदेशक आई.टी./(ए.सी.पी.), कार्यालय हाजा।
6. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान
7. भुगतान एवं लेखाधिकारी, बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली
8. निजी सहायक निदेशक महोदया,
9. सहायक लेखाधिकारी, स्टोर शाखा, कार्यालय हाजा।
10. स्टोर प्रभारी, कार्यालय हाजा

निदेशक